

## महिलाओं के शिक्षा संबन्धित क्षेत्र एवं उसका प्रभाव

देवी राम<sup>1</sup> and डॉ. अमीत कुमार<sup>2</sup>

शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग<sup>1</sup>

एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग<sup>2</sup>

ओ.पी.जे.एस. विश्वविद्यालय, राजस्थान

### शोध सारांश

स्त्री शिक्षा 'स्त्री और शिक्षा' को अनिवार्य रूप से जोड़ने वाली अवधारणा है। इसका एक रूप शिक्षा में स्त्रियों को पुरुषों की ही तरह शामिल करने से सम्बन्धित है। दूसरे रूप में यह स्त्रियों के लिए बनाई गई विशेष शिक्षा पद्धति को सन्दर्भित करता है। भारत में मध्य और पुनर्जागरण काल के दौरान स्त्रियों को पुरुषों से अलग तरह की शिक्षा देने की धारणा विकसित हुई थी। वर्तमान दौर में यह बात सर्वमान्य है कि स्त्री को भी उतना शिक्षित होना चाहिये जितना कि पुरुष हो। यह सिद्ध सत्य है कि यदि माता शिक्षित न होगी तो देश की सन्तानों का कदापि कल्याण नहीं हो सकता। शिक्षा सामाजिक सशक्तिकरण के लिए प्रथम एवं मूलभूत साधन है। यह माना जाता है कि शिक्षा ही वह उपकरण है जिससे महिला समाज में अपनी सशक्त, समान व उपयोगी भूमिका की अनुभूति करा सकती है। शिक्षा के आधार पर महिला में दक्षता, कौशल, ज्ञान एवं क्षमताओं का विकास होता है। शिक्षित महिला न केवल स्वयं लाभान्वित होती है, वरन उससे भावी पीढ़ी भी लाभान्वित होनी चाहिए। जिसके आधार पर भविष्य में हर स्त्री शिक्षा से परिपूर्ण हो। शिक्षा किसी भी प्रकार के कौशल की प्राप्ति एवं विवेकपूर्ण दृष्टिकोण के विकास के लिए पूर्णतया आवश्यक है। महिला की शिक्षा से उसका शोषण रोकने में सहायता मिलेगी। निर्णय लेने की क्षमता सशक्तिकरण का एक बड़ा मानक है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए यह शोध पत्र लिखा गया है। इस शोध पत्र के दौरान तुलनात्मक, विश्लेषणात्मक, साक्षात्कार शोध प्रवधि को अपनाया जाएगा। शिक्षा का निर्णय लेने की क्षमता से धनात्मक एवं सार्थक सहसम्बन्ध है। न्यून शैक्षिक स्तर का सीधा प्रभाव है इस मानव पूँजी (महिला) का निम्न स्तरीय विकास, कुशलता का निम्न स्तर तथा श्रम बाजार में न्यून भागीदारी महिलाओं की वास्तविक स्थिति से व्यक्ति, परिवार, समाज एवं राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है।"

**शब्द कुंजी-** स्त्री शिक्षा, सामाजिक सशक्तिकरण, स्तरीय विकास, कुशलता इत्यादि।

### प्रस्तावना-

शिक्षा जीवन के दरवाजे की कुंजी है जिसका लक्ष्य ज्ञान रूपी प्रकाश को फैलाना तथा अज्ञानता रूपी अंधेरे को दूर करना है। मकोल व अन्य के अनुसार किसी भी समाज या राष्ट्र की प्रगति के लिए महिला शिक्षा को विशेष महत्व है। किसी भी शिक्षित समाज की वास्तविक स्थिति जानने का तरीका है कि हम यह जानने का प्रयास करें कि समाज में महिलाओं की शैक्षिक स्थिति कैसी है, उनको क्या-क्या अधिकार प्राप्त हुए हैं और उनकी मूलभूत संसाधनों तक कितनी पहुँच है तथा राजनीतिक व सामाजिक निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में उनकी कितनी सहभागिता है? देखा जाय तो महिलाओं की शिक्षा विकास का एक महत्वपूर्ण कारक है जिसने महिलाओं का स्तर और उनकी समाज में भूमिका को उठाने में सहायता की है।" शिक्षा किसी भी व्यक्ति के सुखद जीवन की मजबूत आधारशिला तैयार करती है। शिक्षा के द्वारा एक महिला असहाय व अबला से सशक्त और सबला बनती है। महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य है महिलाओं में छिपी हुई उन शक्तियों गुणों तथा प्रतिभाओं को विकसित करना। जिनको व्यवहार में लाकर व अपने विकास की ओर स्वयं कदम बढ़ा सके यह कार्य केवल शिक्षा के द्वारा ही सम्भव है। विश्व विकास रिपोर्ट 1993-99 स्पष्ट करती है। कि महिला शिक्षा आर्थिक विकास में सहायक होने के साथ ही प्रजननता को कम करके बच्चों के उचित पालन पोषण तथा माता-पिता एवं बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य में सहायक होती है। सामान्य तौर पर शिक्षा आर्थिक आत्मनिर्भरता में सहायक होती है। इससे महिलाओं का सामाजिक स्तर ऊपर उठता है तथा उनका सशक्तिकरण होता है। आर्थिक स्वायत्तता से निर्भरता एवं पुरुष प्रधानता तथा वर्चस्व ध्वस्त होने से न सिर्फ महिला व्यक्तिगत स्तर पर लाभान्वित होगी अपितु सामाजिक स्तर पर ऐसे परिवर्तन घटित होंगे कि पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था छिन्न भिन्न होकर रह जायेगी और जगह एक नयी समाजवादी व्यवस्था उभर कर सामने आयेगी जिसमें महिला और पुरुष दोनों का समान महत्व होगा। "संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब पूरे विश्व के लिए धारणीय

विकास के लक्ष्य निर्धारित किये तब उसमें समावेशी शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया। शिक्षा से वंचित वर्गों में पूरे विश्व में सबसे बड़ा हिस्सा महिलाओं का है।

### स्वरूप और महत्व

प्राचीनकाल से आज तक विश्व के सभी विचारकों, दार्शनिकों तथा शिक्षाविदों ने नारी शिक्षा के महत्व को सदैव अनुभव किया है। भारतीय सभ्यता, संस्कृति तथा परंपरा में नारियों को सदैव ही सम्मानजनक स्थान दिया जाता था। उन्हें देवी माँ या सहचरी कहकर पुकारा जाता था। यह भी कहा गया है "यत्र नारिस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता । स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान में भी वर्गभेद और लिंग भेद को समाप्त कर सभी को समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है परंतु इसके बावजूद भी कतिपय रूढ़िवादी कारणों से एक लंबे समय तक महिलाओं को सदियों तक विद्या की देवी माँ सरस्वती की आराधना करने से विमुख रखा गया। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में : - "महिलाओं को सदैव असहायता तथा दूसरों पर दासवत निर्भरता का प्रशिक्षण दिया गया" । वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन तथा मध्यकालीन समाज में स्त्रियों को अज्ञानता के आवरण में रखकर पिता, पति या पुत्र के दासत्व को स्वीकार करके ही कार्यक्रम के कर्तव्य का ज्ञान देने मात्र को ही उस समय की स्त्री शिक्षा की इतिश्री समझा जाता था। परंतु आज परिस्थितियाँ बदल गयी हैं। आज स्त्रियों शिक्षा प्राप्त करके समाज के महत्वपूर्ण कार्यों में पुरुषों के साथ योगदान कर रही हैं। वे आज घर की चहारदिवारी के अंदर घुटकर भाग्य के भरोसे बैठी अनपढ़ कठपुतली मात्र नहीं हैं वरन् वे अज्ञानता के आवरण से बाहर आकर तथा ज्ञान के आलोक में परिपूर्ण होकर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों से स्पर्धा करने के लिए तत्पर हैं। वास्तव में वर्तमान समय में स्त्रियों में क्रांतिकारी परिवर्तन तथा महिला सशक्तिकरण का प्रमुख स्त्री शिक्षा के प्रचार प्रसार को है। प्राचीनकाल में नारी की स्थिति:- भारत में प्राचीन काल से स्त्रियों की शिक्षा को विशेष महत्व दिया जाता था क्योंकि स्त्री जीवन के हर पहलू में पुरुष का साथ देती है । वैदिक साहित्य में गार्गी, मैत्रयी, आत्रेय, शकुन्तला आदि अनेक विदुषी स्त्रियों की चर्चा मिलती है। इस समय नारी शिक्षा अत्यंत सीमित थी तथा केवल समाज के संभ्रात परिवारों की लड़कियाँ ही शिक्षा प्राप्ति के अवसरों का सदुपयोग कर पाती थी। उस समय स्त्रियों के लिए पृथक शिक्षा संस्थाओं की कोई व्यवस्था नहीं थी और न ही उस काल में स्त्रियों की शिक्षा के लिए कोई सुसंगठित व्यवस्था थी। फिर भी प्राचीन काल में मैत्रयी, लोपमुद्रा, अपाला, शैव्या, सीता, उर्मिला, विद्योत्तमा, चुडाला जैसी अनेक नारियों ने अपनी विद्वता, त्याग एवं समर्पण का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। बौद्धकाल में प्रारंभिक वर्षों में स्त्रियों को प्रवेश नहीं दिया जाता था, परंतु बाद में महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को संघ के रूप में प्रवेश करने की अनुमति देकर स्त्री शिक्षा को एक नया आयाम दिया, जिसके कारण स्त्री शिक्षा को एक नया जीवन मिला। उस समय के संघमित्रा जैसी विदुषी नारियों के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। शिक्षा केवल धनी-मनी व कुलीन घरानों तक ही सीमित थी।

**मुस्लिम काल में नारी शिक्षा:-** मुस्लिम काल में भी स्त्रियाँ शिक्षा से उपेक्षित ही रहीं। उस काल में बाल विवाह, पर्दा प्रथा जैसी प्रथा प्रचलित होने के कारण छोटी-छोटी बालिकाओं के अतिरिक्त अन्य स्त्रियाँ शिक्षा से वंचित रह जाती थी। शाही घरानों तथा समाज के धनी वर्गों की बालिकायें अपने घरों से शिक्षा प्राप्त करती थी। मुस्लिम बालिकायें मस्जिद से जुड़े मकतबों में तथा संभ्रात, कुलीन तथा शाही परिवार प्रायः अपना घरों में मौलवी को बुलाकर स्त्रियों की शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। मुस्लिम काल में सामान्य वर्ग की स्त्रियाँ में रजिया सुल्ताना, चाँद बीबी, नूरजहाँ, गुलबदन बेगम, जेबुनिसा, रानी दुर्गावती, जीजाबाई, अहिल्याबाई के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं।

**ब्रिटिश काल में नारी शिक्षा:-** ब्रिटिश काल में कंपनी को भारत में अपना प्रशासन चलाने के लिए स्त्री लिपिकों अथवा प्रशासकों की आवश्यकता नहीं थी। समाज एवं धर्म में अनेक प्रकार के अंधविश्वास प्रचलित होने के कारण कंपनी ने स्त्री शिक्षा में कोई रूचि नहीं ली। फिर भी कंपनी शासन के दौरान स्त्री शिक्षा का प्रसार मिशनरियों तथा अन्य सामाजिक संस्थानों के द्वारा किये गये प्रयासों से प्रारंभ हुआ।

सन् 1854 में वुड के आदेश पत्र में अधिकारिक तौर पर सबसे पहले स्त्री शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया गया तथा स्त्रियों की शिक्षा के प्रसार के सभी संभव प्रयास किये गये। परिणामस्वरूप प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गयी। सन् 1902 ई० तक स्त्री शिक्षा में एक आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया था। आर्य समाज, ब्रह्म समाज जैसी संस्थाओं ने स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया। भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान कस्तूरबा गाँधी, मीरा बहन, भीखा जी कामा जैसी अनेक विदुषी महिलाएँ ने अपने देश प्रेम, त्याग व योग्यता से महिलाओं की उन्नति की मार्ग प्रशस्त किया । सन् 1917 से सन् 1947 तक स्त्री शिक्षा

का विकास अत्यंत तीव्र गति से हुआ। इस काल में स्त्रियों ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर दिया। इसी समय भारतीय नारी संगठन तथा राष्ट्रीय महिला परिषद् की स्थापना हुई। 1927 में अखिल भारतीय नारी सम्मेलन हुई। शारदा एक्ट के द्वारा बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दी गयी। परिणामस्वरूप नारी शिक्षा संस्थाओं की संख्या बढ़ी साथ ही बड़ी संख्या में नारियाँ शिक्षा ग्रहण करने लगी 1

**नारी शिक्षा की वर्तमान स्थिति:-** सन् 1947 में स्वाधीनता प्राप्त करने के उपरांत महिलाओं की सामाजिक तथा शैक्षिक स्थिति में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। अज्ञानता परतंत्रता, रूढिवादिता तथा असहायता के बंधनों से मुक्त होकर भारतीय स्त्रियाँ आज एक सम्मानजनक जीवन जी रही है। स्त्रियों से संबंधित सामाजिक मान्यताएं बदल रही है। भारतीय संविधान में पुरुषों तथा स्त्रियों को पूर्ण स्वरूप सम्मान दर्जा देते हुए भी शिक्षा के प्रसार पर बल दिया गया। स्वतंत्रता के उपरांत नारी शिक्षा के मार्ग में आनेवाली बाधाओं को जानने तथा उसका समाधान प्रस्तुत करने हेतु अनेक समितियों एवं आयोगों का गठन किया गया।

नारी शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व:- मानव समाज में नारी शिक्षा का विशिष्ट महत्व है क्योंकि कोई भी काम चाहे सामाजिक हो या आर्थिक या सांस्कृतिक या राजनैतिक हो, बिना स्त्री के पूर्ण नहीं होता। एक अच्छे समाज के निर्माण का आधार भी नारी है। नारी समाज निरंतरता तथा उत्पादकता का भी प्रमुख आधार है। वास्तव में संपूर्ण समाज के निर्माण एवं विकास की संभावनाएँ नारी पर ही निर्भर है। इसलिए नारी शिक्षा की अवहेलना करना समाज के प्रति अन्याय करना है। नारी शिक्षा के महत्व के संबंध में कुछ प्रमुख विचारकों, विद्वानों तथा शिक्षाविदों ने निम्न प्रकार के विचार व्यक्त किये है:

1. नेपोलियन के अनुसार - मुझे सुशिक्षित माताएँ दो, मैं एक सुशिक्षित राष्ट्र का निर्माण कर दूँगा। जगजीवन राम ने एक बार विचार व्यक्त किया- एक कन्या को पढ़ा देने से आगे आनेवाली पीढ़ी सुशिक्षित होगी।

3. पंडित नेहरू के अनुसार लड़के की शिक्षा केवल एक व्यक्ति की शिक्षा है परंतु एक लड़की की शिक्षा संपूर्ण परिवार की शिक्षा है"

4. राष्ट्रपति लिंकन ने कहा है कि मैं जो कुछ भी हूँ और जो कुछ होने की आशा करता हूँ उसके लिए मैं अपनी माता का कृतज्ञ हूँ।

5. फोरेबल के अनुसार माताएँ आदर्श अध्यापिकाएँ हैं।

उपरोक्त कथनों से यह स्पष्ट है कि स्त्रिया परिवार का मेरूदंड है। वे अपने परिवार समाज तथा राष्ट्र के गौरव को उँचा उठाती है। बच्चे वैसा ही बनते हैं जैसा माँ उन्हें बनाती है। बच्चों के विकास में सर्वाधिक योग माँ का होता है। अतः वर्तमान समय में स्त्री शिक्षा की आवश्यकता और महत्व काफी बढ़ गया। सर्वाधिक योग माँ का होता है। अतः वर्तमान समय में स्त्री शिक्षा की आवश्यकता और महत्व काफी बढ़ गया है।

### **स्त्री शिक्षा की आवश्यकता निम्नलिखित दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है :**

स्त्री शिक्षा आज के युग में समाज में सुधार की ओर तीव्र गति से बढ़ रही है। उनकी हर तरह की पारिवारिक, सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। आज की नारी किसी भी क्षेत्र में पुरुष से पीछे नहीं है। स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन का श्रेय स्त्री शिक्षा के प्रसार तथा प्रचार को है। उन्हें समाज में उचित स्थान देना चाहिए। भ्रूण परीक्षण द्वारा कुछ लोग पहले ही बालक होने के प्रति आश्वस्त होना चाहते हैं। भारत में भ्रूण हत्या और उनका परीक्षण स्त्री को जन्म से ही वंचित कर देता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अंधविश्वास के कारण इस पाप को करने से लोग हिचकी चाहते नहीं हैं। आज भी कुछ लोग जन्म के बाद बालक बालिका में भेदभाव की भावना रखते हैं, जो स्त्रियों के विकास को अवरुद्ध करती हैं।

### **अध्ययन के उद्देश्य-**

1. शोध विषय के दौरान स्त्रियों की शिक्षा से सशक्तिकरण पर महत्ता देना।
2. सरकारी द्वारा स्त्रियाँ के प्रति नए कानून एवं नीति आयोग गठन करने के प्रयास को प्रभावी बनाना।
3. महिला शिक्षा को जननी स्तरपर बढ़ना
4. महिला आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना
5. बालविवाह की प्रथा बंदकर बालिकाओं की विकास जोर देना।

### शोध प्रविधि:-

प्रस्तावित शोध पत्र में " महिलाओं के शिक्षा संबन्धित क्षेत्र एवीएम उसका प्रभाव" को लेकर चर्चा की गयी है। अंतइस विषय को : केन्द्रीय समस्याके रूप में रखते हुए तुलनात्मक, विश्लेषणात्मक, सर्वेक्षणात्मक, साक्षात्कार शोध प्रविधियों का प्रयोग किया जाएगा। आवश्यकतानुसार अन्य शोध प्रविधियों को भी अपनाया जाएगा।

### सुझाव-

देशमुख समिति" की सिफारिश को स्वीकार करके केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 1959 में "राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद" का निर्माण किया जा सके । इस "राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद" का मुख्य कार्य था- विद्यालय स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा से संबंधित समस्याओं का समाधान करना । इस समिति के अनुसार, विद्यालय स्तर पर बालकों और बालिकाओं के पाठ्यक्रमों में अंतर नहीं होना चाहिए समिति ने यह भी सुझाव दिया कि हमें पुरुषों एवं स्त्रियों के मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक कार्यों के भेदों के आधार पर बालको एवं बालिकाओं के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों का निर्माण करना चाहिए। इस प्रकार, सन् 1882 से 1952 तक भारत में पांच आयोगों की नियुक्ति हो चुकी थी इसमें अंतिम दो, अर्थात् "राधाकृष्णन कमीशन" (1948-49) एवं मुदलियार कमीशन" (1952-53) की नियुक्ति स्वतंत्र भारत मे हुई थी, सरकार ने 1964 में पुनः शिक्षा आयोग का गठन किया जो 'कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है इस आयोग ने शिक्षा को स्त्रियों के लिए सरल, सहज और उपयोगी बनाने के सुझाव दिए। इसके अतिरिक्त उच्च प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर तथा पूर्व स्नातक स्तर पर बालिकाओं के लिए पृथक स्कूल एवं कालेजो की स्थापना करने का सुझाव दिया अन्य स्थानों में प्रमुख थे छात्रावृत्ति एवं मितव्ययी छात्रावासों की व्यवस्था से बालिकाओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन देना, विषय चयन की छूट एक या दो -विश्वविद्यालयों में स्त्री शिक्षा की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए अनुसंधान केंद्रो की स्थापना की जाएं. बालिकाओं को मुफ्त पुस्तकें, लेखन सामग्री एवं वस्त्र देकर शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने का सुझाव भी दिया गया विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में भी स्त्री शिक्षा हेतु प्रस्ताव और विभिन्न सुझाव रखे गए यथा माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय स्तर पर महिलाओं को गृहउद्योग एवं हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए" प्रौढ़ शिक्षा एवं हॉकी, क्रिकेट, फुटबाल, बालीबॉल अदि खेलों के प्रति बालिकाओं में रूचि उत्पन्न की जाए पांचवी पंचवर्षीय योजनांतर्गत अध्यापिकाओं की कमी को दूर करने के लिए बालिकाओं को इस शर्त पर छात्रवृत्तियां दी जाएंगी कि वे शिक्षा समाप्त करने के बाद शिक्षण व्यवसाय को ग्रहण करें इसके अतिरिक्त कम शिक्षित स्त्रियों एवं बालिकाओं के लिए संक्षिप्त एवं पत्राचार पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जाए। सरकारी नौकरियों में महिला आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था ने भी महिलाओं को शिक्षा प्राप्ति की ओर अग्रसर किया है केंद्र एवं राज्य शासन भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु अनेक योजनाएँ संचालित करती है जिनमें से कई स्त्री शिक्षा के विस्तार से संबंधित होती हैं। इस प्रकार, महिला शिक्षा के स्वरूप में निरंतर आवश्यकतानुसार परिवर्तन होता रहा है समाज के एक अत्यन्त महत्वपूर्ण अवयव के रूप में, आधे समाज के रूप में महिलाओं ने हमेशा अपनी उपयोगिता एवं महत्व सिद्ध किया है, यह उसी शिक्षा का परिणाम है।

### निष्कर्ष-

महिला शिक्षा के बारे में स्थिति को देखें तो आज लगातार सुधार हो रहा है लेकिन इस क्षेत्र में अभी भी काफी कुछ किया जाना है। जब महिलाओं के क्रिया का प्रसार हो रहा है तो आज औरतों के पास घर की दहलीज पार करके कार्यस्थल तक पहुंच रहे हैं। अब महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा कार्यालयों निजी कम्पनियों, खेलों में आना स्थान, राजनीति में, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और विभिन्न संस्थानों में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। मै यही कहना चाहूँगा कि महिलाओ का सम्मान बरकरार रखा जाय। नारी ही गढ़ती है महान् चरित्र, महिलाएँ अबला नहीं है अपितु महापुरुषों को जन्म देने वाली है। किसी भी समाज व देश का स्वरूप वहाँ की महिलाओं के व्यवहार से प्रतिबिंबित होती है। नारी को अपना सोच बदलाव लाना होगा और निखर कर सामने आना होगा और निर्ममता को समाप्त कर इस निर्जन पडी जिन्दगी को निजात दिलाना होगा।

आज समय की मांग पर, सामाजिक इक नया होगा,निरंतर योग्यताके निर्णय से परिणाम आंकलन होगा. परिवर्तन नियम जीवन का नियम अब नया बनेगा, ती अब परिणामों के भय से नहीं कोई स्त्री का मन डरेगा। परिवर्तन की पतंग अब उड़ाने लगी है जिसकी डोर संभालने के लिए पुरुष हाथ बढ़ाते थे कि तुम नहीं उड़ा पाओगी, मेरी सहायता के बिना ये डोर महिलाओं ने पूरी तरह से थामने का प्रण कर लिया और पतंग भी प्रगति से उड़ने को आतुर है। पर आसमान में ढेर सी पतंग उनके डोर को तोड़ने को बेकरार है।

**संदर्भ-ग्रंथ-**

1. रावत, प्यारे लाल (1975) प्राचीन और भारतीय शिक्षा का इतिहास, आगरा: भारत पब्लिकेशन्स
2. गुप्ता, एस०पी० तथा अल्का गुप्ता, (2008)- भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएँ इलाहाबाद, शारदा पुस्तक भवन ।
3. अग्निहोत्री रविन्द्र (2006)- आधुनिक भारतीय शिक्षा की समस्याएँ और समाधान, जयपुर: राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी।
4. प्रोग्राम ऑफ एक्शन: नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, 1986
5. योजना, जनवरी 2016 अंक, लोधी रोड, नई दिल्ली।
6. कपिल डॉ. एच. के 1992 93 अनुसंधान विधियाँ आगरा भार्गव बुक हाऊस सप्तम संस्करण पृष्ठ संख्या 33
7. 1986 शिक्षा तथा राष्ट्रीय विकास नई दिल्ली पृष्ठ संख्या 32.38
8. मित्तल एम. एल (2005) उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षा इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाऊस, मेरठ, पृष्ठ संख्या- 22
9. साक्षरता मिशन - 1989 प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, भारत सरकार पृष्ठ संख्या 32,38
10. छत्तीसगढ़ राज्य साक्षरता मिशन -2001 पृष्ठ संख्या - 3.13
11. जिला साक्षरता समिति दुर्ग - 2001 पृष्ठ संख्या - 2.12.23.
12. देवपुरा प्रतापभल, महिला सशक्तिकरण में शिक्षा का महत्व' कुरुक्षेत्र अंक 5 मार्च 2006
13. मकोल नीलम, शर्मा संदीप, सामाजिक विकास में शिक्षित महिलाओं का योगदान, कुरुक्षेत्र सितम्बर 2006
14. लवानिया, एम.एम. (1989), "समाज शास्त्रीय अनुसंधान का तर्क एवं विधियाँ, रिसर्च पब्लिकेशन, जयपुर।
15. अंसारी, एम.ए. (2001). "महिला और मानवाधिकार", ज्योति प्रकाशन, जयपुर
16. कुमार, डा० अशोक, डा० हरीश :वूमेन पावर, स्टेट्स ऑफ वूमेन इन इण्डिया, ज्ञान पब्लिकेशन हाउस, 1991
17. पारेख, आई एंड पी० गर्ग : इण्डियन वीमैन एन इनर डायलॉग, सेज प्रकाशन, नई दिल्ली, 1999